BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF

ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024

AMIT KUMAR AND ANR. ....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 7	1-6
2.	Affidavit in support of reply	7-8
3.	List of Documents	
	Annexure – R/1 (Colly) A true copy of the RSPCB office letter dated 14.05.2024 and 25.06.2024 sent to SDM, Distt- Neem KA Thana	9-29
	ANNEXURE – R/2 (Colly)	

	A true copy of RSPCB office letter dated 07.05.2024 and 14.05.2024 Sent to Water Resource Department, Government of Rajasthan	30 – 31
	ANNEXURE – R/3 A true copy of the RSPCB office letter dated 07.05.2024 sent to Department of mines and geology, government of Rajasthan	32
4.	Affidavit in support of Documents	33 – 34

Vaibhav Thakuria
Counsel for respondent No.7
+91 7579282001
vaibhavthakuria@gmail.com

Place: Jaipur
Date: 05.07.2024

(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF

Sr.No.... 625 ..Day.9-7...
Year.... 2024...

ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024

SIKAR SUB DIVISION VINOD KUMAR BAHLAWAT My Commission Expires on 22-7-2025 NOTARY SIKAR Reg. No.329 PIN 332001 GOVT OF INDIA

AMIT KUMAR AND ANR. ....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7

It is humbly submitted by the Respondent No.7 as under:

1. That the issue raised in the present Original Application is in respect of illegal mining affecting the flow of Kasawati River in the Neem Ka Thana district of Rajasthan and Mahendragarh district of Haryana. The allegation of the applicant is that illegal mining is going on the riverbed and deep-dug pits have been left behind by the illegal miners

ATTESTED
9/7/2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(2)

which is affecting the very existence of the river. It is also alleged that such illegal mining has also profound impact on the region including lowering of the groundwater level affecting the livelihood of nearby communities.

2. That along with the OA, Applicant has enclosed certain notices issued by the local authorities to the stone crushers and other project proponent for removing the encroachment from the flow area of the River.

3. That without commenting on the Para wise contents of the Original Application, the answering Respondent would redress the issue pertaining to the answering department as Rajasthan State Pollution Control Board is board constituted under the section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. That after the enactment of the Environment (Protection) Act, 1986 the scope of the activities of the Board were further widened and the State Board is engaged in implementation

ATTESTED
9.2.24
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

of the rules made under the Environment Protection Act, 1986.

4. It is submitted that the answering Respondents issued consent to operate (CTO) to 7 stone crushers out of which 5 are established and operating on converted lands and 2 are established and operating on mining leases.

5. It is submitted that, after the issuance of notice by this Hon'ble Tribunal vide order dated 08.04.2024, the answering Respondent vide its office letters dated 14.05.2024 and 25.06.2024 has forwarded details to the SDM, Distt- Neem KA Thana and requested to verify the nature of the land where stone crushers are operating and whether these unit are established on converted land or not. That it was further requested by the answering Respondent that in case there is encroachment in Kasavati River then initiate appropriate proceedings according to the Rules and intimate theRSPCB for taking action against the industries according to the Environment laws.

ATTESTED
9.7.2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(7)

A true copy of the RSPCB office letter dated 14.05.2024 and 25.06.2024 sent to SDM, Distt- Neem KA Thana is marked and annexed herein as **Annexure – R/1 (colly)**

SIKAR SUB DIVISION VINOD KUMAR ... NOTARY SIKAR Reg. No.329 PIN 332001 GOVT. OF INDIA

6. That the answering Respondents vide its office letter dated 07.05.2024 and 14.05.2024 has asked Water Resource Department to provide information of the industries and Mines encroaching the River Bed of Kasavati River.

A true copy of RSPCB office letter dated 07.05.2024 and 14.05.2024 Sent to Water Resource Department, Government of Rajasthan is marked and annexed herein as **Annexure – R/2 (Colly)**

7. It is submitted that the answering Respondent vide letter dated 07.05.2024 has also asked Department of Mines and Geology, Government of Rajasthan to provide information of the industries and Mines encroaches the River Bed of Kasavati River.

ATTESTED
9.7.2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

5

A true copy of the RSPCB office letter dated 07.05.2024 sent to Department of mines and geology, government of Rajasthan is marked and annexed herein as **Annexure – R/3**

8. It is submitted that as per the relevant rules, the CTO was issued by the answering Respondent i.e RSPCB on the basis of land conversion or mining lease. In the present case, the CTO's were issued by the RSPCB as the stone crushers are operating either in converted lands or having mining lease. The answering Respondent is awaiting reply from the relevant departments to provide information of any encroachments done by the stone crushers as alleged by the applicant herein, after which appropriate action will be taken by the answering Respondent against such stone crushers.

9. That the instant reply has been supported by way of an affidavit.

SIKAR SUB DIVISION VINOD KUMAR NOTARY SIKAR Reg. No.329 PIN 332001 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(6)

PRAYER

In view of the foregoing facts and submissions, the Hon'ble Tribunal may be pleased to take the reply of Respondent No.7 on record and pass appropriate orders in the interest of justice and fair adjudication of the matter

Respondent No. 7

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

Through

Vaibhav Thakuria
Counsel for respondent No.7
+91 7579282001
vaibhavthakuria@gmail.com

Place: Jaipur
Date: 05.07.2024

ATTESTED
9.7.2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

(7)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF

ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024

AMIT KUMAR AND ANR. **....APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. **....RESPONDENTS**

SIKAR SUB DIVISION VINOD KUMAR SHEKHAWAT My Commission Expires on 22-4-2025 NOTARY SIKAR Reg. No.329 PIN 332001 GOVT. OF INDIA

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REPLY

I, Pradeep Kumar Asnani S/o Jaikishan Asnani, currently posted as Regional Officer in Sikar , having its office at Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar, do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am the officer Incharge on behalf of Rajasthan State Pollution Control Board, and fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit

ATTESTED
9.7.2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(8)

2. That I am filing a reply to the Original Application, the contents of which are true and correct to the best of my knowledge and belief and based on the document filed along with the reply

SIKAR SUB DIVISION VINOD KUMAR ... My Commission Expires on 22-4-20.. NOTARY SIKAR Reg. No.329 PIN 332001 GOVT. OF INDIA

Identified By Me

Depondent
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

VERIFICATION

I the above named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct and no material fact has been concealed.

Signed and verify on this 9 day of July, 2024 at Sikar

Depondent
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

ATTESTED
9-7-2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

(9)

Annexure- R/1

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकःराप्रनिम / क्षे0का0 / सीकर / सामा–275 / 2024–25 / 221

दिनांक 14.05.2024

रजिस्टर्ड पोस्ट

उपखण्ड अधिकारी,
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
नीमकाथाना।

विषयः– माननीय राष्ट्रीयहरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, प्रकरण संख्या 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश की अनुपालना में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दर्ज हुआ है जोकि कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित है।

उक्त प्रकरण में माननीय प्राधिकरण के आदेश की प्रति एवं रिट याचिका संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने एवं अपशिष्ठ डालने वाले चिन्हित स्टोन क्रेशर, माईंस इत्यादि पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें ताकि सम्बन्धित इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के अनुसार भी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(10)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक राप्रनिम / क्षे.का.सीकर / सामान्य–275/ 538 दिनांक : 25.06.2024

उपखण्ड अधिकारी,
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट),
नीमकाथाना।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधीकरण, नई दिल्ली, प्रकरण संख्या 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य।

संदर्भ :– 1. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधीकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2024.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 221 दिनांक 14.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश की अनुपालना में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधीकरण, नई दिल्ली, के समक्ष 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दर्ज हुआ है जोकि कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र मे अतिक्रमण से सम्बन्धित है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 14.05.2024 को इस कार्यालय द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेश की प्रति एवं रिट याचिका संलग्न कर कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया था जिसका जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ। उक्त प्रकरण में चिन्हित स्टोन क्रेशरों के खसरा संख्या / खनन पट्टा संख्या इस कार्यालय के अभिलेखो के आधार पर संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दूओं की सूचना इस कार्यालय को 03 दिवस में भिजवाने का श्रम करें ताकि सम्बन्धित इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के अनुसार भी कार्यवाही की जा सके :–

1. संलग्न सूची में चिन्हित इकाईयों द्वारा राज्य मण्डल में प्रस्तुत खनन पट्टा संख्या / खसरा संख्या के अतिरिक्त भूमि पर कार्य (भण्डारण / संचालन / अपशिष्ट डालना) की सूचना ।
2. कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र में चिन्हित स्टोन क्रेशरो द्वारा एवं अन्य इकाईयों द्वारा अतिक्रमण करने एवं अपशिष्ट डालने वाली इकाईयों पर आप द्वारा की गई कार्यवाही।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी

11

Details of Stone crushers (As per available record)

S No.	Name of the unit	Address	Consent Status	Conversion order/ML No.
1	Cap Infrastructure	Village- Nimod, Neem Ka Thana	Consent to operate Valid up to 28.02.2034	Land was allotted for Industrial (Crusher) vide letter 1741 dated 06.02.2019
2	RK Crusher Company	Village- Nimod, Neem Ka Thana	Consent to operate Valid up to 30.06.2032	ML No 569/08
3	Ganwari Silica Pvt. Ltd.(II)	Village- Nimod, Neem Ka Thana	Consent to operate Valid up to 28.02.2034	Land was allotted for Industrial (Crusher) vide letter 180 dated 22.02.2018
4	Ganwari Silica Pvt. Ltd.	Village- Nimod, Neem Ka Thana	Consent to operate Valid up to 31.08.2033	Land was allotted for Industrial vide letter 1333-41 dated 28.12.2011
5	Krishna Grit Udhyog	Village- Nimod, Neem Ka Thana	onsent to operate Valid up to 31.12.2031	khasra No. 1003(ML No 694/10,693/10)
6	Sanwariya Stone Crusher	Village-Nimod, Neem Ka Thana	Consent to operate Valid up to 29.02.2032	Land was allotted for Industrial (Crusher) vide letter 1346 dated 26.09.2008
7	Bhawani Stone Crushers Pvt. Ltd.	Village- Nimod, Neem Ka Thana	Consent to operate Valid up to 31.10.2032	Land was allotted for Industrial (Crusher) vide letter 1154 dated 11.05.2017

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर)

पट्टा क्रमांक - 1741
दिनांक 06/02/2019

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन
के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के
नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2019 के माह फरवरी के 06 (छठे) दिन नगरपालिका नीमकाथाना (जिन्हे इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं M/S CAP Infrastucture Belpahar, Jharrsuguda जरिये श्रीमती पूनम कवर पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़, जाति –राजपूत, व्यवसाय – गृहकार्य निवासी 194 K सरस्वती नगर, कायड़ रोड, पुष्कर, अजमेर (राज) (जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत मे जहा कहीं प्रयोग मे ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी निर्देशक, प्रबन्धक प्रतिनिधि और पुनर्विलेख अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारो जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे, के एवज मे नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पेराफेरी क्षेत्र राजस्व ग्राम गीलोद के खसरा सख्या पुराना 1049/1, 1050 क्षेत्रफल 6723.15 वर्गगज मे स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट मे अधिक पूर्णतया वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे मे लाल रग मे दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सबधी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक आपवादो, आरक्षणो, प्रतिबधो, बधनों शर्तो और करारो के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार मे रखेगा, अर्थात–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय मे या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सबध मे उक्त नियमो के नियम 20 के उप–नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 295821/– अंकेही दो लाख पिच्यानवे हजार आठ सौ ईक्कीस रू0 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमे राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्व वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और, इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि – पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल औद्योगिक (क्रेशर) योजना, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमो के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमो मे अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगरनिकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि सर्वा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा मे मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमो मे विहित सामान्य निबंधनो और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशो द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलो मे जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले मे, अन्तरिती के पक्ष मे नाम मे अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलो मे इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।
8. उक्त नियमो के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति संदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज अन्तरित/बाह्य विकास प्रभार का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप मे लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवटन या पट्टा विलेखविधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन मे कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका

भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10 इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11 भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नही किया गया है, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है।

कस्बे का नाम : नीमकाथाना
राजस्व ग्राम : नीमोद
खसरा संख्या : पुराना :– 1049 / 1, 1050
योजना का नाम : पैराफेरी क्षेत्र
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज / मीटर 6723.15
(छः हजार सात सौ तेईस पॉईंट पन्द्रह वर्गगज)
इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा मे निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

परिशिष्ट

भूखण्ड की सीमा पूर्व संलग्न नक्शे अनुसार पश्चिम संलग्न नक्शे अनुसार उत्तर संलग्न नक्शे अनुसार दक्षिण संलग्न नक्शे अनुसार दक्षिण संलग्न नक्शे अनुसार मानचित्र संलग्न है।

नगरपालिका की ओर से

आज सन् 2019 के माह फरवरी के 06 वें दिन श्री त्रिलोक दीवान व श्री सलीम खान ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:–

अध्यक्ष, नगरपालिका नीमकाथाना — अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी :–

1. नाम श्री बृजमोहन सैनी
पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी
व्यवसाय सह–नाकेदार, न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

2. नाम श्री जितेन्द्र सिंह जाखड़
पुत्र श्री ताराचन्द जाखड़
व्यवसाय वरिष्ठ लिपिक न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

आज सन् 2019 के माह फरवरी के 06 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति मे उक्त व M/S CAP Infrastucture Belpahar, Jharrsuguda जरिये श्रीमती पूनम कंवर पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़, लीजधारक द्वारा कार्यालय न0पा0 नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

Poonam Kanwar वास्ते Himmat Singh
लीजधारक–द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम प्रभु सिंह पुत्र रतन सिंह
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान W.no-16, प्रताप सिंह नगर नीमोद, तहसील – नीम का थाना (सीकर)

Prabhusingh
साक्षी

2. नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह
व्यवसाय transport Business.
निवास स्थान W.no-16, प्रताप सिंह नगर नीमोद, तहसील – नीम का थाना (सीकर)

साक्षी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

(14)

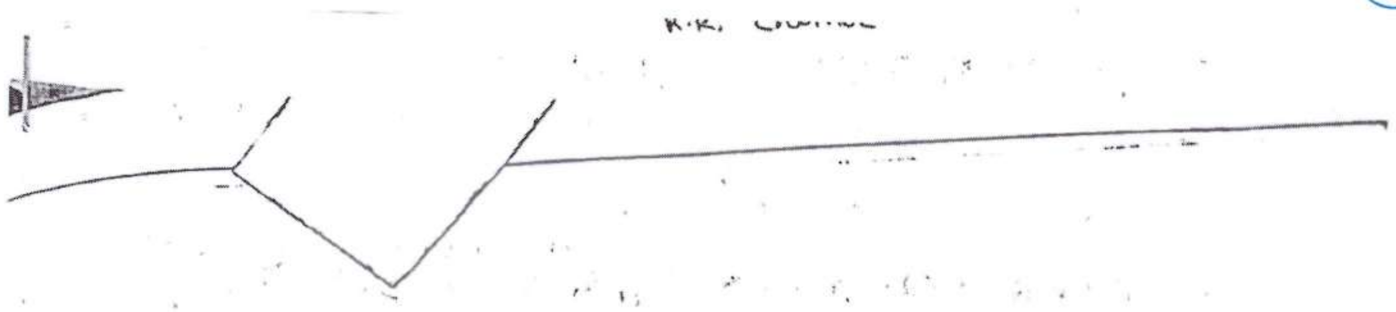

Annexure: I

मॉडल प्रमाण पत्र

स्टोन क्रेशर इकाइयों की आबादी एवम अन्य क्षेत्रों से दूरी को सत्यापित करने हेतु वांछित प्रमाण पत्र

1 यह सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स ...सागर स्टोन क्रेशर कम्पनी... स्टोन क्रेशर ग्राम ...मौखाण्डा... तहसील ...नीमकाथाना... जिला ...सीकर... जो कि खसरा नंबर 1059 ... में स्थापित है के स्थल से 1.5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र के नाम, उनकी आबादी एवं संयोग स्थल से सीधी दूरी का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र सं	राजस्व ग्राम/आबादीय क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र से स्टोन क्रेशर की सीधी दूरी
	मौखाण्डा, भराला	1900 मीटर, 1505 मीटर

2 स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई की निकटतम सीमा से राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की सीमा (Boundary) से दूरी 200 मीटर/किलोमीटर है।

3 स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई की निकटतम सीमा से अन्य मार्ग (मार्ग का प्रकार) की सीमा (Boundary) से दूरी 100 मीटर/किलोमीटर है। कच्चा रास्ता।

4. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 500 मीटर की परिधि में व्यापक जनहित के संस्थान (चिकित्सालय/स्कूल/धार्मिक स्थल/सामुदायिक उद्यान) के नाम व दूरी। नहीं है

5 स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 1500 मीटर की परिधि में स्थित जल स्रोत के नाम व दूरी। बालाजी की जोहड़ी खसरा नं 1062 है 1750 मी दूर है जो सूखी है

6 स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 1500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य क्रेशर इकाई का नाम व दूरी। फ्यूंचरा सिद्धि ... का स्टोन क्रेशर 100 मी की दूरी पर

7 स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 200 मीटर की परिधि में स्थित वन क्षेत्र का नाम व दूरी। नहीं है

8 प्रस्तावित इकाई की बाउन्ड्री से 1000 मीटर की परिधि में स्थित वन अभ्यारण/राष्ट्रीय पार्क का नाम व दूरी। नहीं है

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 25/5/15 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील से जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार नीमकाथाना

जिला – सीकर

क्रमांक 813 25/5/15

नोट

- उपरोक्त प्रमाण पत्र नवीनतम जनगणना/कार्यालय अभिलेखों के आधार पर जारी किया जावे।
- 2 प्रमाण पत्र सीधी दूरी अंकित कर जारी किया जावे, जिसमें लगभग शब्द का प्रयोग न किया जावे।
- 3 यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जावे।
- 4 यह प्रमाण पत्र मूल रूप में ही संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित/प्रस्तुत किया जावे।
- 5 सीधी दूरी राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र की सीमा से नापी जावे।
- 6 उपरोक्त प्रारूप में ही प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

नोट :- प्रस्तावित स्टोन क्रेशर ख.नं. 1059 के निकट स्थान पर ML No 569/08 में स्वीकृत है। राजस्व ग्राम भराला से स्वीकृत खनन क्षेत्र की दूरी 1505 मीटर है।

(हस्ताक्षर) 6.5.15

(हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

सीकर (राज०)

(15)

OFFICE OF ASSISTANT ENGINEER WATER RESOURCES SUB DIV. NEEM KA THANA

NO. 396 DATE: 12/7/16

TO,

The Regional Officer

Rajasthan State Pollution Control Board

Sikar.

Sub: Issue of Certificate for stone crushing Unit.

Ref: Your office letter no. RPCB/RO Sikar/SIK-OTA-599/632 Dated30/06/2016

Sir,

M/S R.K. Crusher Co. is a stone crusher unit proposed at village Nimod , Teh-Neem ka thana , Distt.- SIKAR in khasara no. 1059

It is certified that there is no water body Within1500 mtr on the downstream of proposed site for a stone crusher in khasara no. 1059 village Nimod , Teh- Neem ka thana , Distt.- Sikar This is also certified that the proposed site does not adversely affect the catchment area of water body.

Enclosed : राज्य सरकार से एम.आर. नं. 867 / एम.डब्ल्यू.आर. / 13 दिनांक 30.08.2013 द्वारा अनुमोदित सामान्य शर्तें

Assistant Engineer
W R D Sub Dn. Neem ka thana

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज.)

Manwari Silica I II

11. The above conversion order shall be subject to the foll0wing conditions.

(e) The land converted for the above non agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose. without obtaining prior permission of the prescribed autholity.

(f) If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue if this order the permission shall be withdraw and the premium money deposited. By the applicant shall be for feinted.

(g) No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.

(h) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other nonagricultural purpose without valid permission form the prescribed Authority.

नोट :– उक्त संपरियर्तन आदेश पर रोड कोंग्रेस के नियम लागू होगे।

Signature of the
prescribed Authority
S.D.O. Neem Ka Thana

Seal of the
Prescribed Authority

Date:- 20-12-71

No. 1337-41 | 21.01.11 | 2011

Copy to:

1. The district Collector — Sikar
2. Tehsilder — Neem Ka Thana
3. Gram Panchayat — महाया
4. Patwari Halka — महावा
5. The application — गांवडी सीलिका प्रा.लि. 131 C.R. Avenue First Floore Room No. 22 KOLKATA-70007 जरिए डाईरेक्टर महेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री नेतराम गोयल निवासी नीमकाथाना

Signature of the
prescribed Authority
S.D.O. Neem Ka Thana.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(17)

Annexure-I

मॉडल प्रमाण पत्र

मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयों की आवादी एवम अन्य क्षेत्रों से दूरी को सत्यापित करने हेतु वांछित प्रमाण पत्र

1. यह सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स गांधी सिलिका प्रा. लि. जो कि खसरा/ प्लाट नंबर 803/26, 38, 803/93, 44, 801/11, 5 ग्राम/ क्षेत्र नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला 801/12, 13 सीकर में प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग है के स्थल से 500 मीटर की परिधि में आने वाले राजस्व ग्राम/आवासीय क्षेत्र के नाम, उनकी आवादी एव उद्योग स्थल से सीधी दूरी का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	राजस्व ग्राम/आवासीय क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम/आवादी क्षेत्र से उद्योग की सीधी दूरी
	नीमोद	4 कि.मी. चार कि.मी.

2. प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग इकाई की निकटतम सीमा से राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की सीमा (Boundary) की दूरी 35.02 ~~मीटर~~/किलोमीटर है। 35. 02 Km.
3. प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग इकाई की निकटतम सीमा से अन्य मार्ग (मार्ग का प्रकार) की सीमा (Boundary) की दूरी Nil मीटर/किलोमीटर है।
4. प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग इकाई से 500 मीटर की परिधि में व्यापक जनहित के संस्थान (चिकित्सालय/स्कूल/धार्मिक स्थल/सामुदायिक उद्यान) के नाम व दूरी। Nil
5. प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग इकाई से 500 मीटर की परिधि में स्थित जल स्त्रोत के नाम व दूरी। Nil
6. प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग इकाई से 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य इकाइयो के नाम व दूरी। Nil
7. प्रस्तावित मिनरल ग्राइंडिंग इकाई से 200 मीटर की परिधि में स्थित वन क्षेत्र का नाम व दूरी। Nil
8. प्रस्तावित इकाई की बाउन्ड्री से 1000 मीटर की परिधि में स्थित वन अभ्यारण/राष्ट्रीय पार्क का नाम व दूरी। Nil

यह प्रमाण पत्र आज दिनाक 20.1.2012 को मेरे हस्ताक्षर एव सील से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार
हस्ताक्षर मय सील
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

नोट:
1. उपरोक्त प्रमाण पत्र नवीनतम जनगणना/कार्यालय अभिलेखों के आधार पर जारी किया जावे।
2. प्रमाण पत्र सीधी दूरी अंकित कर जारी किया जावे, जिसमें लगभग शब्द का प्रयोग न किया जावे।
3. यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जावे।
4. यह प्रमाण पत्र मूल रूप में ही सक्षम अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित/प्रस्तुत किया जावें।
5. सीधी दूरी राजस्व ग्राम/आवादी क्षेत्र की सीमा से नापी जावे।
6. उपरोक्त प्रारुप मे ही प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

15

MG amended Jan 2012 doc

Ganwari Silica \ II

प्ररूप–11

(नियम–7(1) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर)

मामला सं. 19 और वर्ष 2017

मैसर्स गांवड़ी सिल्का प्रा0 लिमिटेड

जरिये डाइरेक्टर श्री महेन्द्र कुमार गोयल

पुत्र स्व0 श्री नेतराम गोयल

वार्ड नं. 4, शाहपुरा रोड़, नीमकाथाना

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 180 22/2/2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्न लिखित भूमि का औद्योगिक (स्टोन केशर) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा स.	क्षेत्र
नीमकाथाना जिला सीकर	नीमोद	1047	0.25 हैक्टेयर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ पत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैनें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैनें संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरुप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का औद्योगिक (स्टोन केशर) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

(19)

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं 1047 रकबा 0.25 हैक्टेयर को ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का औद्योगिक (स्टोन केशर) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 22/2/2018 को पारित किया गया।

— Sd —
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

सं० 181-183

दिनांक 22/2/2018

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी —

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नीमकाथाना
2. तहसीलदार, नीमकाथाना तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. मैसर्स गांवड़ी सिल्का प्रा० लिमिटेड जरिये डाइरेक्टर श्री महेन्द्र कुमार गोयल पुत्र स्व० श्री नेतराम गोयल वार्ड नं. 4, शाहपुरा रोड़, नीमकाथाना

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

20

Annexure: I

मॉडल प्रमाण पत्र

स्टोन क्रेशर इकाइयों की आबादी एवम अन्य क्षेत्रों से दूरी को सत्यापित करने हेतु वांछित प्रमाण पत्र

1. यह सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स शांतदेवी शिल्पिका प्रा. लि. .... स्टोन क्रेशर ग्राम नीमोद .... तहसील नीमकाथाना .... जिला सीकर .... जो कि खसरा नंबर 1047/1048 मे प्रस्तावित है के स्थल से 15 किलोमीटर की परिधि मे आने वाले राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र के नाम, उनकी आबादी एवं उद्योग स्थल से सीधी दूरी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र से स्टोन क्रेशर की सीधी दूरी
1	नीमोद	2164 मीटर

2. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई की निकटतम सीमा से राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की सीमा (Boundary) से दूरी 3.6 मीटर/किलोमीटर है। 36 / L किमी.
3. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई की निकटतम सीमा से अन्य मार्ग (मार्ग का प्रकार) की सीमा (Boundary) से दूरी Nil मीटर/किलोमीटर है।
4. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 500 मीटर की परिधि में व्यापक जनहित के संस्थान (चिकित्सालय/स्कूल/धार्मिक स्थल/सामुदायिक उद्यान) के नाम व दूरी। Nil
5. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 1500 मीटर की परिधि मे स्थित जल स्त्रोत के नाम व दूरी। Nil
6. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 1500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य क्रेशर इकाई का नाम व दूरी। जयनवाडी क्रेशर 350 मीटर तथा अल्ट्राटेक क्रेशर 900 मीटर दूरी पर है।
7. स्टोन क्रेशर की प्रस्तावित इकाई से 200 मीटर की परिधि में स्थित वन क्षेत्र का नाम व दूरी। Nil
8. प्रस्तावित इकाई की बाउन्ड्री से 1000 मीटर की परिधि में स्थित वन अभ्यारण/राष्ट्रीय पार्क का नाम व दूरी। Nil

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील से जारी किया गया।

तहसीलदार/उपखण्ड तहसीलदार नीमकाथाना
हस्ताक्षर मय सील जिला – सीकर

नोट: (ह.) भू.प. जादरी 16.01.2018

1. उपरोक्त प्रमाण पत्र नवीनतम जनगणना/कार्यालय अभिलेखों के आधार पर जारी किया जावे।
2. प्रमाण पत्र सीधी दूरी अंकित कर जारी किया जाये, जिसमें लगभग शब्द का प्रयोग न किया जावे।
3. यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जावे।
4. यह प्रमाण पत्र मूल रूप में ही संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित/प्रस्तुत किया जावें।
5. सीधी दूरी राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र की सीमा से नापी जावे।
6. उपरोक्त प्रारूप मे ही प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

343
24-01-2018

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

20

OFFICE OF ASSISTANT ENGINEER WATER RESOURCES SUB DIV.NEEM KA THANA

No. 405

Date: 25/1/2018

TO

DIRECTOR

GANWARI SILICA(P) LTD

NIMOD

Sub:-Issue to Certificate for correction unit of the water body.

Ref:-Your officer letter on date.18/01/2018

SIR

M/S GANWARI SILICA (P) LTD Khasra no. 1047,1048,1001, Village nimod,the-neem ka thana sikar,It is certified there is no Water body being maintained by this office in 1500 mtr on the down streem of proposed site for the crusher unit in Khasara no.1047,1048,1001,Village-nimod,the-neem ka thana,sikar,dist-sikar.This is also certified that the proposed site does not adversely affect the catchment area of water body or any dam and anicut maintained by this office withina bove maintained limit.

It is also requested to ensure before operate of paint that no obstruction in caused to nature flow&nalla in any way by owner/firm maintained etc.

Enclosed:state govt.M.R NO. 867/MWR/13 DATE 30/08/2013 vide approved general conditions.

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उप खण्ड Assistant Engineer
नीमकाथाना Water Resource Sub Dn.

NEEM KA THANA

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

Granwari Silica

(22)

FORM-B

[See rule 9(3),(4) &(6)]

Office of prescribed Authority S.D.O. Neem Ka Thana

No. Date:-

CONVERSION ORDER

On the application of गांवडी सीलिका प्रा.लि. 131 C.R. Avenue First Floore Room No. 22 KOLKATA-70007 जरिए डाईरेक्टर महेन्द्र कुमार गोयल agricultural land held by him in his khatedari tenancy is tenancy is hereby converted for a nonagricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for non – agricultural in Rural) Rules, 2007 the particulars of which are giver as under.

3. Name of application khatedar/tenants with father's/ husband's name and complete address. गांवडी सीलिका प्रा.लि. 131 C.R. Avenue First Floore Room No. 22 KOLKATA-70007 जरिए डाईरेक्टर महेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री नेतराम गोयल नीमकाथाना

4. 2. Whether the application member of SC/ST :- No.

3. Details of the land converted. ख.नं. 803/26 रकबा 0.38 हे. 803/33 रकबा 0.44 हे. 806/11 रकबा 0.05 हे. एवं ख.नं. 806/12 रकबा 0.13 हे. किता 4 रकबा 1.00 हे. ग्राम नीमोद

(a) Name of the village/Gram panchayat/ Tehsil. No ग्राम नीमोद / तह0–नीमकाथाना

(b) Khasra No. of the land a ongwith area of each Khasra No. (in hectare) ख.नं. 803/26 रकबा 0.38 हे. 803/33 रकबा 0.44 हे. 806/11 रकबा 0.05 हे. एवं ख.नं. 806/12 रकबा 0.13 हे.

(c) Arfea converted (in hectare or wq, mtr.) ind 1.00 हे. (10000.00 वर्ग मीटर)

(d) Leating the area of each Khasra No ख.नं. 803/26 रकबा 0.38 हे. 803/33 रकबा 0.44 हे. 806/11 रकबा 0.05 हे. एवं ख.नं. 806/12 रकबा 0.13 हे.

4. Purpose of Conversion औद्योगिक, प्रयोजनार्थ।

5. Rate of Conversion charges payable. 5/-(जिला उघोग केन्द्र सीकर से 50%) छूट

6. Amount of premium deposited with No. and date of challan50/26.12.11Rs.25000/-

7. Amount of penalty deposited, if any with date and no. NO

8. Amount of interest deposited, if any, with date and no. if challan.NO

9. Whether the order issued under Rule 13 for regularization. NO

10. Other particulars if any.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

23

Krishna Unit

स्टोन केशर इकाइयों की आबादी एवम अन्य क्षेत्रों से दूरी   मॉडल प्रमाण पत्र   Annexure: I

1. यह सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स [illegible] स्टोन क्रेशर प्रो. वीरेन्द्र कुमार गुप्ता ग्राम निमोद ...... जो कि खसरा नंबर 1003 तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रस्तावित है के स्थल से 1.5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले राजस्व ग्राम/आवासीय क्षेत्र के नाम, उनकी आबादी एवं उद्योग स्थल से सीधी दूरी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम/आवासीय क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र से स्टोन केशर की सीधी दूरी
1	निमोद व मालां	1700 मीटर व 1750 मीटर

2. स्टोन केशर की प्रस्तावित इकाई की निकटतम सीमा से राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की सीमा (Boundary) से दूरी 4000 मीटर/किलोमीटर है।
3. स्टोन केशर की प्रस्तावित इकाई की निकटतम सीमा से अन्य मार्ग (मार्ग का प्रकार) की सीमा (Boundary) से दूरी 50 मीटर/किलोमीटर है। कच्चा रास्ता
4. स्टोन केशर की प्रस्तावित इकाई से 500 मीटर की परिधि में व्यापक जनहित के संस्थान (चिकित्सालय/स्कूल/धार्मिक स्थल/सामुदायिक उद्यान) के नाम व दूरी। नहीं है
5. स्टोन केशर की प्रस्तावित इकाई से 1500 मीटर की परिधि में स्थित जल स्त्रोत के नाम व दूरी। बरसाती नाला 20 मीटर पर है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है
6. स्टोन केशर की प्रस्तावित इकाई से 1500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य केशर इकाई का नाम व दूरी। [illegible] स्टोन क्रेशर 40 मीटर
7. स्टोन केशर की प्रस्तावित इकाई से 200 मीटर की परिधि में स्थित वन क्षेत्र का नाम व दूरी। वन सीमा से दूरी 200 मीटर
8. प्रस्तावित इकाई की बाउन्ड्री से 1000 मीटर की परिधि में स्थित वन अभ्यारण/राष्ट्रीय पार्क का नाम व दूरी। नहीं है

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 24-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील से जारी किया गया।

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील

नोट:
1. उपरोक्त प्रमाण पत्र नवीनतम जनगणना/कार्यालय अभिलेखों के आधार पर जारी किया जावे।
2. प्रमाण पत्र सीधी दूरी अंकित कर जारी किया जाये, जिसमें लगभग शब्द का प्रयोग न किया जावे।
3. यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जावे।
4. यह प्रमाण पत्र मूल रूप में ही संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित/प्रस्तुत किया जावें।
5. सीधी दूरी राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र की सीमा से नापी जावे।
6. उपरोक्त प्रारूप में ही प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

नोट :- ढाणी बेरा की 1300 मीटर, कानबेलियों की ढाणी 650 मीटर, फूलचन्द स्वामी का मकान 600 मीटर, जोर बालाजी मन्दिर 600 मीटर, ग्यारसा मीणा का मकान 650 मीटर की दूरी पर स्थित है बालाजी मन्दिर के अलावा उक्त ढाणियां व मकान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा ग्राम लक्ष्मीपुरा का धावडीमाताला मन्दिर की दूरी प्रस्तावित क्रेशर से 1000 मीटर स्थित है जो आबादी रहित है

[signatures] 23.4.14   22/4/14   24/4/14
CS 889
तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर)

C:\Documents and Settings\Nidhi Khandelwal\Desktop\Amended Apr 2011.doc

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(24)

OFFICE OF ASSISTANT ENGINEER WATER RESOURCES SUB DIV. NEEMKATHANA

NO. 27

TO,

DATE: 29/4/2014

The Regional Officer

Rajasthan State Pollution Control Board

Sikar.

Sub : Issue of Certificate of Stone Crusher Unit.

Ref : Your office letter no. RPCB/RO Sikar/Gen – 70/ 3179 Dated 04/03 /2014

Sir,

M/SUltratech Cement LTD. stone crushur is a stone Crusher unit proposed at village NIMOD , Teh-Neemkathana , Distt.- SIKAR in khasara no.1003

It is certified that there is no water body Within 1500 mtr on the down streem of proposed site for the stone Crusher in khasara no. 1003(ML No. 692/10,693/10) NIMOD , Teh-Neemkathana , Distt.- SIKAR This is also certified that the proposed site does not adversely affect the catchment area of water body.

Enclosed : राज्य सरकार से एम.आर. नं. 867 / एम.डब्ल्यू.आर. / 13 दिनांक 30.08.2013 द्वारा अनुमोदित सामान्य शर्तें

Assistant Engineer

W R D Sub div.Neemkathana

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

सीकर (राज०)

राज्य सरकार से एम.आर. नं. 867/एम.डब्ल्यू.आर./13 दिनांक 30.08.2013 द्वारा अनुमोदित सामान्य शर्तें :—

1. खननकर्ता द्वारा आवेदित क्षेत्र का खसरा व लोकेशन प्लान जिसमें एप्रोच रोड एवं निकटतम जल स्त्रोत दर्शाये गये हो प्रस्तुत करना होगा तथा खनन करने से पूर्व आवंटित क्षेत्र की पत्थर गढी करवाकर क्षेत्र का सीमा निर्धारण करवाया जावेगा।
2. बांध क्षेत्र में विभागीय कर्मचारी को आवेदित खसरे में विभागीय कार्य हेतु आने जाने से रोका नही जावेगा।
3. बांध में पानी की आवक अधिक होने पर खनन कार्य रुक जाने की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
4. खननकर्ता द्वारा आवेदित खसरे में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही किया जावेगा जिससे बांध मे पानी की आवक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
5. आवेदक द्वारा खान से खनन करने के दौरान वेस्ट मेटेरियल ऐसे स्थान पर नही डालेगा जिसमें बांध में पानी की आवक में किसी प्रकार का अवरोध पैदा होवे। तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि वेस्ट मेटेरियल पानी के बहाव के साथ बहकर बांध के डूब क्षेत्र में नही जाये।
6. खननकर्ता द्वारा खनन करने के फलस्वरुप अगर बांध जलाशय मे पानी की आवक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विभाग को अनापत्ति निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. संबंधित खण्डीय अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की अनुमति से अतिरिक्त शर्तें जोड़ सकते है। जिनकी पालना आवेदक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
8. आवेदक द्वारा खनन कार्य हेतु विस्फोट या अन्य कार्य इस प्रकार सम्पादित किये जावे जिससे बाँध की सुरक्षा एवं स्थायित्व को कोई हानि न हो।
9. आवेदित खननकर्ता से उपरोक्त सभी विभागीय शर्तों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु खान विभाग पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा। जल संसाधन विभाग की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में प्रदत्त अनापत्ति–प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा। अनापत्ति निरस्त करने से पूर्व खनन पट्टेधारी को सुनवाई का 30 दिवसीय पत्र प्रेषित किया जावेगा, जिसकी प्रति खनिज अभियन्ता को पृष्ठांकित की जावेगी।
10. खनन कार्य हेतु खनन पट्टे के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र 30 वर्ष के लिए जारी किया जावेगा तथा खनन पट्टे के नवीनीकरण अथवा हस्तान्तरण की दिशा में पुनः एन.ओ. सी. नहीं लेनी होगी। यदि खनन पट्टा अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के उल्लघंन के कारण खण्डित होता है तो पुनः एन.ओ.सी. लेनी होगी।

Assistant Engineer
W R D Sub div.Neemkathana

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

Sanwariya

26

FORM-B

[See rule 9(3),(4)&(6)]

Office of prescribed Authority S D O Neem ka Thana

NO. 1346 [illegible]   Dated- [illegible]

CONVERSION ORDER

On the application of [illegible] of village [illegible] Tehsil [illegible] agricultural land hold by him in his khatedari tenancy is hereby converted to a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for non-agricultural in Rural) Rules 2007. the particulars of which are given as under

1. Names of application khatedar tenants with father s/ husband s name and complete address — [illegible]
2. Whether the application member of SC/ DT — —
3. Details of the land converted
   (a) Name of the village / Gram panchayat / Tehsil — [illegible]
   (b) Khasra No. of the land alongwith area of each Khasra No.(in hectare. — [illegible]
   (c) Area converted (in hectare or sq.mtr.) and — [illegible]
   (d) Leaving the area of each Khasra No — [illegible]

   Note- A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non-agricultural purpose is attached
4. purpose of Conversion — औद्योगिक प्रयोजनार्थ ([illegible])
5. Rate of Conversion charges payable — 5/- प्रति वर्ग मीटर
6. Amount of premium deposited with No. and date of challan. — [illegible]
7. Amount of penalty deposited if any with date and no. of challan. — [illegible]
8. Amount of interest deposited if any with date and no. of challan
9. whether the order issued under Rule 15 for regularization — हाँ
10. Other particulars, if any

उप-खण्ड अधिकारी
नीम का थाना. (सीकर)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(27)

Bhawani Stone Crusher

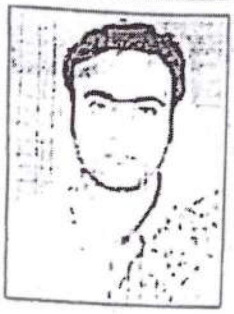

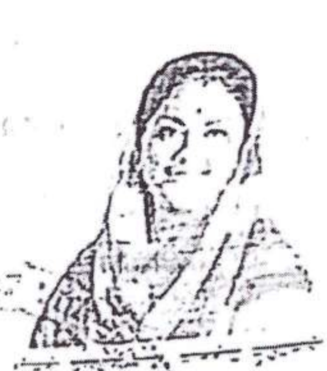

वर्ष 2017-18

कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर)

पट्टा क्रमांक:- 1154 दिनांक: 11/05/2017

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2017 के माह मई के 11 (ग्यारहवें) दिन नगरपालिका नीमकाथाना (जिन्हें इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं मै0 भवानी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0 जरिये डाईरेक्टर श्री दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, जाति- राजपूत, व्यवसाय: व्यापार निवासी इन्द्रपुरा तह0 उदयपुरवाटी जिला-झुंझुनूं (राज0) (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकित अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज मे नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पैराफेरी क्षेत्र राजस्व ग्राम गिगोद के खसरा संख्या 994 क्षेत्रफल 6338.74 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट मे अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग मे दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक 'अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों' के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार मे रखेगा, अर्थात:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपय 243410/- अंकेही दो लाख तियांलीस हजार चार सौ दस रू0 मात्र पेंशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुएं पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

शामिल रहे।
उप. पंजीयक नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नीमकाथाना

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

28

2. एक वार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या
दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे
पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि:– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल औद्योगिक (केशर) प्रयोजन, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमों के
अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन
का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी
जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट
निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार
लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगरनिकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक
द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से
अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों
द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित
होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन
के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें।
प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन, के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की
जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमो के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, अन्तरित/वाह्य
विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के
रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेखविधि
की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया
है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त
भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में
निहित समझे जायेंगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए
दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार
ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए
बंधक रखा जा सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(29)

कस्बे का नाम : नीमकाथाना
तहसील नाम : निमोद
खसरा संख्या : 094
योजना का नाम : पैराफेरी क्षेत्र
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 6338.74
(छः हजार तीन सौ अड़तीस पोईन्ट चौहत्तर वर्गगज)

भूखण्ड की सीमा पूर्व [illegible] नक्शे अनुसार [illegible] नक्शे अनुसार उत्तर [illegible] नक्शे अनुसार [illegible] नक्शे अनुसार [illegible] है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद उल्लेख दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरपालिका की ओर से

आज सन् 2017 के माह मई के 11 वें दिन श्री त्रिलोक दीवान व श्री सलीम खांन ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:–

अध्यक्ष
नगरपालिका नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी :–

1. नाम श्री बृजमोहन सैनी
पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी
व्यवसाय सब–नाकेदार, न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

2. नाम श्री जितेन्द्र सिंह जाखड़
पुत्र श्री ताराचन्द जाखड़
व्यवसाय वरिष्ठ लिपिक न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

आज सन् 2017 के माह मई के 11 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त मै0 भवानी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0 जरिये डाईरेक्टर श्री दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह लीजधारक द्वारा कार्यालय न0पा0 नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक–द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम जयदेव प्रसाद पुत्र श्री जीवण राम
व्यवसाय प्राइवेट नौकरी
निवास स्थान मु.पो. नांगल त. उदयपुरवाटी
जिला - झुन्झुनूं (राज.)

साक्षी

2. नाम अय्यूब खान पुत्र युसुफ खान
व्यवसाय शिक्षक
निवास स्थान वार्ड नं. 14 छावनी नीमकाथाना

साक्षी

शामिल रहे।
उप पंजीयक नीमकाथाना

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

(30)

Annexure - R/2

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकःराप्रनिम / क्षेoकाo / सीकर / सामा–275 / 2024–25 / 198-199 दिनांक 07.05.2024

1. अधिशाषी अभियंता,
   जल संसाधन विभाग,
   खण्ड सीकर

रजिस्टर्ड पोस्ट

2. सहायक अभियंता,
   जल संसाधन विभाग,
   उपखण्ड नीमकाथाना

विषयः– माननीय राष्ट्रीयहरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, प्रकरण संख्या 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश की अनुपालना में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दर्ज हुआ है जोकि कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित है।

उक्त प्रकरण में माननीय प्राधिकरण के आदेश की प्रति एवं रिट याचिका संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने एवं अपशिष्ठ डालने वाले चिन्हित स्टोन क्रेशर, माईंस इत्यादि की सूचना इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(31)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE
Lifestyle for Environment

क्रमांकःराप्रनिम / क्षे0का0 / सीकर / सामा–275 / 2024–25 / 222

दिनांक 14.05.2024

रजिस्टर्ड पोस्ट

सहायक अभियंता,
जल संसाधन उपखण्ड,
नीमकाथाना।

विषयः– माननीय राष्ट्रीयहरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, प्रकरण संख्या 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य

संदर्भः– 1. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2024।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 198–199 दिनांक 07.05.2024।
3. आपका पत्र क्रमांक 67 दिनांक 09.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दर्ज हुआ है जोकि कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित है। उक्त याचिका में संलग्नक के अनुसार आप द्वारा कासावती नदी में विभिन्न स्टोन क्रेशर / इकाईयों द्वारा किये गये अतिक्रमण पर नोटिस जारी किये गये है। याचिका की प्रति मय नोटिस इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.05.2024 के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः आप द्वारा जारी नोटिसों पर दोषी इकाईयों द्वारा किये गये अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ताकि सम्बन्धित इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के अनुसार भी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

32

Annexure-R/3

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

कमाक.राप्रनिम / क्षे0का0 / सीकर / सामा–275 / 2024–25 / 200

दिनांक 07.05.2024

सहायक खनि अभियंता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
नीमकाथाना

रजिस्टर्ड पोस्ट

विषयः– माननीय राष्ट्रीयहरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, प्रकरण संख्या 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य
संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश की अनुपालना में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 350 / 2024, अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दर्ज हुआ है जोकि कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित है।

उक्त प्रकरण में माननीय प्राधिकरण के आदेश की प्रति एवं रिट याचिका संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में आप द्वारा आवंटित खदान अथवा कांसावती नदी के बहाव क्षेत्र में माईनिंग अपशिष्ठ (Mining Overburden) डालने वाली आवंटित खदानो इत्यादि की सूचना इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज0)

(33)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF

ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024

SUB DIVISION SIKAR VINOD KUMAR KHALAWAT NOTARY SIKAR Reg. No.329 PIN 332001 GOVT. OF INDIA

AMIT KUMAR AND ANR. **....APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. **....RESPONDENTS**

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF DOCUMENTS

I, Pradeep Kumar Asnani S/o Jaikishan Asnani, currently posted as Regional Officer in Sikar , having its office at Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar, do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am the officer Incharge on behalf of Rajasthan State Pollution Control Board, and fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit

ATTESTED
9.7.2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)

(34)

2. That I am filing a reply to the Original Application, along with annexure - 1 which is true and correct to the best of my knowledge and belief and based on the document filed along with the reply

SIKAR SUB DIVISION
VINOD KUMAR PAHLAWAT
NOTARY
SIKAR
Reg. No.329
PIN 332001
GOVT. OF INDIA

Depondent

Identified By Me

VERIFICATION

I the above named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct and no material fact has been concealed.

Signed and verify on this 9 day of July, 2024 at Sikar

ATTESTED
9.7.2024
NOTARY PUBLIC
SIKAR

Depondent
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर (राज०)